

रसायन और उर्वरक मंत्रालय**मांग संख्या 6****रसायन और पेट्रोरसायन विभाग**

क. वसूलियाँ और प्राप्तियाँ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व	119.58	44.23	163.81	156.00	67.15	223.15	126.89	48.27	175.16	120.00	42.01	162.01
पूँजी	31.80	...	31.80	32.00	0.03	32.03	15.00	24.61	39.61	40.00	0.03	40.03
जोड़	151.38	44.23	195.61	188.00	67.18	255.18	141.89	72.88	214.77	160.00	42.04	202.04
ब.अ. 2016-2017												
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	...	...	...	...	...	...	...	...	16.87	16.87
2. असम गैस क्रेकर परियोजना	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	0.01	0.02
3. स्वायत्त निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र के उक्रम	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	63.99	0.01	64.00
	6856	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	0.01
	6857	...	...	...	...	...	...	...	...	40.00	0.02	40.02
जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	105.99	0.04	106.03
4. रसायन उद्योगों को प्रोत्साहन												
4.01 रसायन प्रोत्साहन और विकास योजना	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00
4.02 रसायन हथियार सम्मेलन	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	1.00	0.01	1.01
जोड़- रसायन उद्योगों को प्रोत्साहन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	6.00	0.01	6.01
5. पेट्रो-रसायन उद्योगों को प्रोत्साहन												
5.01 पेट्रो-रसायन योजनाएं	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	34.00	...	34.00
5.02 उत्तर पूर्व और सिक्किम के लिए प्रावधान	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	14.00	...	14.00
जोड़- पेट्रो-रसायन उद्योगों को प्रोत्साहन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	48.00	...	48.00
6. भौपाल गैस रिसाव आपदा	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	25.11	25.11
सं.अ. 2015-2016												
7. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	0.48	13.99	14.47	1.00	15.79	16.79	0.80	17.02	17.82	...	...
उद्योग												
पेट्रो रसायन उद्योग												

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
8. सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीईटी)	2852	100.85	...	100.85	83.68	...	83.68	98.68	...	98.68	...	...	...
9. असम गैस परियोजना को आर्थिक सहायता	2852	...	...	...	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	...	...	...
10. पेट्रोरसायन की नई योजनाएं	2852	12.17	...	12.17	42.41	...	42.41	4.24	...	4.24	...	...	...
जोड़-पेट्रो रसायन उद्योग		113.02	...	113.02	126.10	0.01	126.11	102.93	0.01	102.94	...	...	...
रासायनिक और भेषज उद्योग													
11. भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (बीजीएलडी)	2852	...	29.43	29.43	...	47.64	47.64	...	27.18	27.18	...	...	...
12. कीटनाशी निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी)	2852	1.68	0.84	2.52	1.00	3.70	4.70	1.00	4.05	5.05	...	...	...
13. रासायनिक अस्त्र अभिसमय (सीडब्ल्यूसी)	2852	0.87	...	0.87	1.00	0.01	1.01	1.00	0.01	1.01	...	...	...
14. रसायन संवर्धन और विकास योजना (सीपीडीएस)	2852	3.53	...	3.53	1.90	...	1.90	3.90	...	3.90	...	...	...
जोड़-रासायनिक और भेषज उद्योग		6.08	30.27	36.35	3.90	51.35	55.25	5.90	31.24	37.14	...	...	...
जोड़-उद्योग		119.10	30.27	149.37	130.00	51.36	181.36	108.83	31.25	140.08	...	...	...
15. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभार्थ परियोजना/योजना के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	...	...	...	25.00	...	25.00	17.26	...	17.26	...	...	...
16. लोक उद्यमों को कृण													
16.01 हिन्दुस्तान फ्लोराकार्बन्स लि.	6856	...	...	...	...	0.01	0.01	5.00	...	5.00	...	...	...
16.02 हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लि. (एच.आई.एल)	6857	...	...	...	...	0.01	0.01	10.00	...	10.00	...	...	...
16.03 हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स (एचओसीएल)	6857	...	...	...	...	0.01	0.01	...	24.61	24.61	...	...	...
जोड़- लोक उद्यमों को कृण		...	...	...	...	0.03	0.03	15.00	24.61	39.61	...	...	...
17. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	6856	16.80	...	16.80	5.00	...	5.00	...	...	...	...	...	...
	6857	15.00	...	15.00	27.00	...	27.00	...	...	...	...	...	...
जोड़		31.80	...	31.80	32.00	...	32.00	...	...	...	...	...	...
18. ब्याज की छूट													
18.01 हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लि.	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18.02 घटाए-निवल प्राप्तियां	0049	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18.03 घटाए-निवल प्राप्तियां	0852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19. ज्यादा भुगतान की वसूलियां	2852	...	-0.03	-0.03	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		151.38	44.23	195.61	188.00	67.18	255.18	141.89	72.88	214.77	160.00	42.04	202.04

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2016-2017

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश														
रसायन तथा भेषज उद्योग														
3.01	हिन्दूस्तान आर्गेनिक केमिकल लिमिटेड (एचओसीएल)	12857	...	150.00	150.00	17.00	...	17.00	...	...	...	...	...	
3.02	हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लि.	12857	...	...	...	10.00	...	10.00	...	...	...	...	...	
3.03	हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लि.	12856	...	...	...	5.00	...	5.00	...	...	...	...	...	
जोड़-रसायन तथा भेषज उद्योग			...	150.00	150.00	32.00	...	32.00	...	...	...	...	...	
जोड़			...	150.00	150.00	32.00	...	32.00	...	...	...	...	...	
ग. योजना परिव्यय														
1.	पेट्रो-रसायन उद्योग	12856	129.82	...	129.82	131.10	...	131.10	107.93	...	107.93	98.00	...	98.00
2.	रसायन और भेषज उद्योग	12857	21.08	150.00	171.08	30.90	...	30.90	15.90	...	15.90	46.00	...	46.00
3.	सचिवालय -आर्थिक सेवाएं	13451	0.48	...	0.48	1.00	...	1.00	0.80	...	0.80	...	...	...
4.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	25.00	...	25.00	17.26	...	17.26	16.00	...	16.00
जोड़			151.38	150.00	301.38	188.00	...	188.00	141.89	...	141.89	160.00	...	160.00

1. **सचिवालय:** विभाग के सचिवालय पर खर्च के लिए है।

2. **असम गैस क्रैकर परियोजना:** असम गैस क्रैकर परियोजना हेतु सांकेतिक प्रावधान रखा गया है।

3. **स्वायत्त निकाय और सरकारी उपक्रम:** यह प्रावधान केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान स्कीम के अंतर्गत पूर्वोत्तर और सिक्किम को सहायता हेतु है। सिपेट के देश भर में विस्तार केंद्र हैं। यह प्रावधान शैक्षणिक कार्यकलापों (कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम) में क्षमता बढ़ाने और उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्य व प्रौद्योगिकी को सहायता हेतु है। इसमें कीटनाशक निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान हेतु उपस्कर उन्नयन व परियोजना संपूर्णता को लक्षित पर्यावरण अनुकूल कीटनाशक निर्माण के विकास हेतु है। हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड, संयंत्रों व मशीनरी के उन्नयन हेतु एचओसीएल को ऋण तथा हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड लिमिटेड हेतु सांकेतिक प्रावधान है।

4. **रसायन उद्योगों का संवर्धन:** रसायन संवर्धन और विकास योजना निम्न हेतु प्रावधान-(i)विभिन्न सेमिनार, अध्ययन सम्मेलन, कार्यशालाएं आयोजित करते हुए रसायनों का संवर्धन तथा पीसीपीआईआर क्षेत्र में निवेश संवर्धन व्यापार लक्षित करते हुए सहायता डेस्क व सुसाध्यकरण डेस्क की स्थापना संबंधी मामले। (ii)रासायनिक हथियार समझौता(सीडब्ल्यूसी): भारत रासायनिक हथियार समझौता (सीडब्ल्यूसी) के मूल पक्षकारों में से एक है। समझौते की प्रतिबद्धताओं को निभाने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण नामक नोडल एजेंसी का भारत में गठन किया गया है। यह एजेंसी इकाइयों का परीक्षण निरीक्षण करती है, दोहरे उद्देश्य वाले रसायन उद्योगों के क्रियाकलाप की निगरानी करती है। उपयुक्त कार्मिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है और सीडब्ल्यूसी के

क्रियान्वयन के संबंध में रासायनिक शास्त्र निषेध संगठन (ओपीसीडब्ल्यू) की सहायता करती है। सीडब्ल्यूसी अधिनियम 1 जुलाई,2005 से लागू हुआ है।

5. **पेट्रो-रसायन उद्योगों का संवर्धन:** यह प्रावधान पेट्रो-रसायन स्कीम के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों हेतु हैं अर्थात् पेट्रो-रसायन और डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग में प्रौद्योगिकी नवाचार हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार, पालीमर प्रौद्योगिकी हेतु उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना, पेट्रो-रसायनों के क्षेत्र में समर्पित प्लास्टिक पाकों की स्थापना करना।

6. **भोपाल गैस रिसाव त्रासदि:** यह प्रावधान है (i)भोपाल गैस रिसाव त्रासदी पीड़ितों को अनुदान का संवितरण (ii)कल्याण आयुक्त कार्यालय भोपाल को सचिवालयी व्यय (iii)पीड़ितों को क्षतिपूर्ति के मामलों को निपटाने हेतु गठित विभिन्न न्यायालयों का व्यय (iv) पेशेवर सेवाओं, मुद्रा विनिमय अंतर, आदि संबंधी व्यय हेतु है।